

प्रश्न सं. [क. 926]
आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान
35, श्यामला हिल्स, भोपाल -2
e-mail - tribho@mp.nic.in
दूरभाष - 2661126 2661259

कमांक /सं-अन्वे /2-35/06/1713
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/8/08

प्रमुख सचिव,
प.प्र.शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषय:-दतिया जिले में प्रजापति समाज को भाण्डेर तहसील में अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने बाबत
संदर्भ:- आपका पत्र कमांक/1767/1499/06/4/पच्चीस दिनांक 3.8.2006

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के संलग्नक मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त नोटशीट के संलग्नक सहपत्रों में मांग की गई है कि दतिया जिले की भाण्डेर तहसील में निवासरत प्रजापति समाज को दतिया जिले में अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाय।

2. परीक्षणोपरान्त इसमें तस्तुस्थिति यह है कि कुम्हार जाति क्षेत्रीय बंधन के साथ म.प्र. के छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सीधी, शहडोल, टीकमगढ़ तथा सतना जिलों में अनुसूचित जाति में मान्य हैं। शेष जिलों में कुम्हार जाति को पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत शामिल किया गया है। जिला दतिया की भाण्डेर तहसील पूर्व में ग्वालियर जिले के अन्तर्गत थी। जिलों के पुनर्गठन (1998) पश्चात भाण्डेर तहसील को दतिया जिले में शामिल किया गया है। ग्वालियर जिले में कुम्हार जाति अनुसूचित जाति में अधिसूचित नहीं है।

3. अतः जिलों के पुनर्गठन स्वरूप ग्वालियर जिले की भाण्डेर तहसील, जिसे वर्ष 1998 में दतिया जिले में शामिल किया गया है, में निवासरत कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता है।


अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

संचालक,
आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान
भोपाल